नियम 79 : [1][.....]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 79 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"**नियम 79 : ई–वाणिज्य प्रचालक और प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन**

(1) प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों में कोई विसंगति और प्रदायकर्ता द्वारा घोषित विसंगति **प्ररूप जीएसटी एमआईएस–3** में इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदायकर्ता को और **प्ररूप जीएसटी एमआईएस–4** में इलेक्ट्रानिक रूप से ई–वाणिज्यिक प्रचालक को सामान्य पोर्टल पर उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया है, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) ऐसा प्रदायकर्ता, जिसको उप–नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(3) कोई प्रचालक, जिसको उप–नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास के लिए, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।

(4) जहां उप–नियम (2) या उन–नियम (3) के अधीन कोई विसंगति परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगति के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाते है, से उत्तरवर्ती मास के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–3** में उसकी विवरणी में प्रदायकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी और उत्पादन कर दायित्व में ऐसा परिवर्धन तथा उस पर संदेय ब्याज **प्ररूप जीएसटी एमआईएस–3** में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदायकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।"